विकल्प और उम्मीदवारी: अपराध और राजनीति पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

15 फरवरी, 2020

"राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की पहल अकेले न्यायिक प्रणाली द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है।"

चुनावी राजनीति से अपराधिकरण को हटाने का विचार देश में दशकों से उलझा रहा है, फिर भी इस संबंध में जो भी प्रगति हुई है वह सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की पहल के माध्यम से हुई है। राजनीतिक दलों को कानून और आंतरिक संगठनात्मक सुधारों के साथ संसदीय प्रणाली को साफ करना चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से अब तक बहुत कम प्रयास किये गये हैं तथा आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को बचाने के पीछे उनका उद्देश्य काफी स्पष्ट है।

कोर्ट ने सितंबर 2018 में चुनावी उम्मीदवारों के बारे में अधिक से अधिक प्रकटीकरण मानदंडों को लागू करने की मांग की थी। पिछले चार आम चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की "लगातार वृद्धि" को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत अब नए उपायों का लागू करने का निर्देश दिया है।

अब, पार्टियों को उम्मीदवार के चुनाव के कारण को, उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद उन्हें टिकट देने के कारणों को स्पस्ट करना होगा, साथ ही यह भी स्पस्ट करना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिसने बेदाग उम्मीदवार की जगह अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को चुनने के लिए मजबूर किया। न्यायालय ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से कहा है कि वे "अपने उम्मीदवारों की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में" उनके चयन के लिए कारण का खुलासा करें।

हालाँकि, पार्टियाँ ये कारण नहीं दे सकती कि उन्होनें दागी उम्मीदवार को सिर्फ चुनाव में जितने की अधिक संभावना के कारण चुना था। शीर्ष न्यायालय ने आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों पर उनके खिलाफ लंबित मामलों के पूर्ण खुलासे के अलावा, पार्टियों को इन विवरणों को एक स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के पेपर और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना भी आवश्यक बनाया है।

नवीनतम आदेश चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रेरित है। उम्मीदवारों के संपत्ति प्रकटीकरण और आपराधिक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए निर्देश, वोटिंग मशीन में 'नोटा

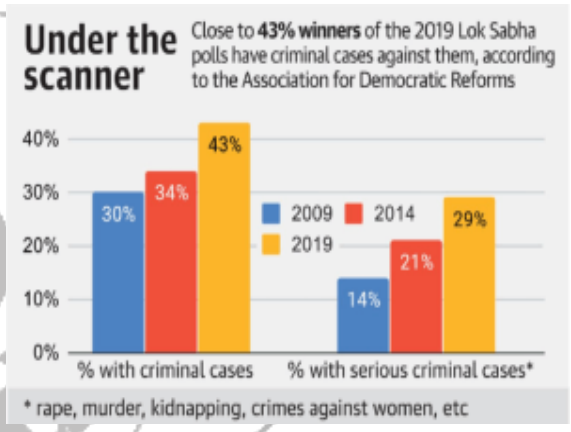

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आपराधिक उम्मीदवारों पर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 4 आम चुनावों में दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है।
- विदित हो कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा-निर्देश दिए?

- सभी राजनीतिक दलों को अपने चुने हुए उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सभी विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य है, न केवल स्थानीय समाचार पत्रों में, बल्कि पार्टी वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर भी।
- लंबित मामलों के विवरण के साथ, पार्टियों को "ऐसे चयन के कारणों को भी प्रकाशित करना होगा, साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों की तुलना में क्यों चुना गया।"
- उम्मीदवारों के चयन के लिए दिए गए "कारणों" में "संबंधित उम्मीदवारों की योग्यता, उपलब्धियों और अन्य योग्यताओं से संबंधित जानकारी शामिल होने चाहिए, सिर्फ जीतने का पैमाना दागियों को टिकट देने का कारण नहीं हो सकता।

(NOTA) का विकल्प और उस क्लॉज को अमान्य बनाना, जो सजा के बाद तत्काल अयोग्य होने से विधायकों की रक्षा करता है, ये सब बेहतर पहल हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए सभी राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना का निर्देश दिया है।

हालाँकि, यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की पहल अकेले न्यायिक प्रणाली द्वारा नहीं की जा सकती। राजनीतिक वर्ग को इस चुनौती का जवाब देना चाहिए। पार्टियाँ शायद उम्मीदवारों की अपनी पसंद को सही ठहराते हुए बताएंगी कि कानून केवल उन लोगों को दोषी मानता है, जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, न कि उन्हें जिन पर आरोप लगाये गये हैं।

इसके अलावा, वे सभी लंबित मामलों को "राजनीति से प्रेरित" बताते हुए खारिज कर सकते हैं। हालाँकि, सबसे अच्छा विकल्प तो यह होता कि पार्टियाँ आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज करें।

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि बेंच के 2018 के फैसले, जिसने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की घोषणा करना और प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था, के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग कोई भी बेहतर कदम उठाने में विफल रहा है।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के विवरणों को समाचार पत्रों में "अस्पष्ट और "अपनी वेबसाइट पर वेबपेजों को एक्सेस करने में मुश्किल बना कर" 2018 के फैसले की अवमानना कर रही है।

इस बहस से परे, एक बड़ा सवाल यह है कि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में और अधिक जानकारी का कोई क्या करेगा, जब मतदाता ही किसी विशेष नेता या पार्टी को प्रत्याशी के रिकॉर्ड के संदर्भ के बिना ही अपना मत देने का विचार बना लेते है?

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में राजनीति के अपराधीकरण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राजनीतिक दलों को केंद्र एंव राज्य दोनों स्तर पर अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर उम्मीदवारों के बारे में लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी देनी होगी।
2. राजनीतिक दलों को 48 घंटे के भीतर के चुनाव आयोग के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है।
3. निजता का अधिकार के कारण उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी केवल आधिकारिक बेवसाइट पर ही अपलोड होगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 1

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. With reference to the recent Supreme Court decision on criminalization of politics, consider the following statements:

1. Political brokers will have to give detailed information about the pending criminal cases on their official websites both at the Central and State levels.
2. Political brokers are required to submit a compliance report with the Election Commission within 48 hours.
3. Due to the right to privacy, detailed information of the candidates will be uploaded only on the official website.

Which of the above statements is / are true?

(a) 1 and 2 (b) Only 1

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 14 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए किए गये प्रयासों मध्य सर्वोच्च न्यायलय का नवीन निर्णय ऐतिहासिक दिखाई पड़ता है।'इस निर्णय के सभी पक्षों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

'The new decision of the Supreme Court appears historic in the midst of many attempts to stop the criminalization of politics.' Analyze all aspects of this decision. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।